भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1870

उत्तर देने की तारीख : 09.03.2026

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रदान किए गए लाभ

1870. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत से अब तक आवेदकों, पंजीकृत लाभार्थियों, बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों, प्रमाणित किए गए लाभार्थियों तथा लाभार्थियों को प्रदान किए गए रियायती ऋण और उपलब्ध कराए गए आधुनिक उपकरण-किट की संख्या का कौशल-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लाभार्थियों को कोई प्लेसमेंट सहायता प्रदान की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक संस्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग किए गए बजट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विश्वकर्मा समुदाय को विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में सहायता करने के लिए ब्रांड प्रमोशन और बाजार लिंकेज के लिए कोई सहायता स्थापित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : दिनांक 17.09.2023 से पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरूआत ऐसे 18 व्यवसायों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जो अपने हाथों और औजारों के साथ काम करते हैं। स्कीम की शुरुआत से अब तक आवेदकों की संख्या, पंजीकृत लाभार्थी, आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदत्त लाभार्थी, प्रमाणित लाभार्थी, लाभार्थियों को प्रदान किए गए रियायती ऋण और प्रदान किए गए आधुनिक टूल-किट का कौशल-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ख) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम मुख्य रूप से ऐसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सुदृढ़ करने और सहायता देने के लिए बनाई गई है, जो स्व-नियोजित हैं। यह स्कीम उद्यमिता को बढ़ावा देने और कारीगरों और शिल्पकारों की व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। स्कीम का उद्देश्य लाभार्थियों को वेतनयुक्त रोजगार की तलाश करने के बजाय स्वयं के उद्यमों को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाना है।

(ग) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत दिनांक 05.03.2026 तक, देश भर में स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग किए गए बजट का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	**संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रुपए में)**	**किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)**
2023-24	753.11	745.91
2024-25	3,993.78	3,993.10
2025-26 (दिनांक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	4,400	2,613.22

(घ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, एमएसएमई मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और भौतिक प्रदर्शनियों के माध्यम से विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ाने के लिए व्यापक विपणन सहायता उपाय शुरू किए हैं। इसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) और प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पीएम विश्वकर्माओं को लाना शामिल है। जेम पर 30,000 से अधिक लाभार्थी, ओएनडीसी पर 1,700 से अधिक कारीगर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 160 कारीगर शामिल हुए हैं। इसके अलावा, देश भर में 50 व्यापार मेले और 37 राज्य स्तरीय पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं।

हाल ही में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिल्ली हाट, नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता को हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और खरीद के लिए एक प्रमुख मंच उपलब्ध हो सके और पारंपरिक शिल्प कौशल की भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाया जा सके और उसे प्रदर्शित किया जा सके।

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1870, जिसका उत्तर दिनांक 09.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

(क) पीएम विश्वकर्मा के तहत व्यवसाय-वार प्राप्त आवेदनों, सफल पंजीकरण, कौशल प्रशिक्षण, स्वीकृत ऋण और वितरित किए गए टूलकिट की संख्या

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्राप्त आवेदन	सफल पंजीकरण	आधारभूत कौशल प्रशिक्षण	संस्वीकृत ऋण	वितरित टूलकिट
1	टेलर	1,82,64,426	4,01,612	3,44,060	87,465	1,72,417
2	मेसन	27,01,322	4,59,378	3,66,358	93,089	2,37,990
3	कारपेंटर	10,67,298	4,41,865	3,79,501	1,03,178	2,12,455
4	गारलैंड मेकर	7,61,665	2,26,880	1,88,034	38,965	1,04,503
5	बास्केट/मैट/ब्रूम मेकर/कॅयर बुनकर	7,17,798	1,87,653	1,49,346	25,003	99,423
6	बार्बर	7,15,085	2,64,145	2,15,659	57,266	64,230
7	वॉशरमैन	4,97,927	1,58,140	1,13,320	26,281	46,059
8	गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)	4,22,368	1,03,800	72,113	10,777	49,877
9	हथौड़ा और टूल किट निर्माता	3,16,325	1,01,124	74,698	14,443	65,643
10	फिशिंग नेट मेकर	2,76,969	1,02,830	68,963	14,843	69,802
11	मेटल स्मिथ/मेटल कास्टकर	2,64,325	1,20,441	96,264	23,012	88,516
12	पॉटर	2,55,633	1,13,431	90,426	22,054	35,591
13	गोल्डस्मिथ	2,35,729	95,901	58,502	18,421	36,462
14	मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला) पत्थर तोड़ने वाला	2,35,567	1,00,617	74,138	15,438	53,711
15	कोबलर/शूस्मिथ/फुटवियर कारीगर	2,20,354	84,703	60,669	13,676	22,735
16	शस्त्रकार	1,03,903	13,503	6,159	778	5,697
17	ताला बनाने वाला	1,00,148	11,982	4,690	728	3,706
18	नाव निर्माता	99,380	11,995	3,909	594	3,715

(ख) पीएम विश्वकर्मा के तहत राज्यवार प्राप्त आवेदनों, सफल पंजीकरण, कौशल प्रशिक्षण, स्वीकृत ऋण और वितरित किए गए टूलकिटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदन	सफल पंजीकरण	आधार भूत कौशल प्रशिक्षण	संस्वीकृत ऋण	वितरित टूलकिट
1	आंध्र प्रदेश	21,67,255	2,22,947	1,75,584	53,229	82,531
2	अरुणाचल प्रदेश	14,256	7,196	1,571	252	79
3	असम	7,53,730	1,18,861	94,464	15,508	48,049
4	बिहार	18,57,430	1,62,053	1,12,301	22,932	59,991
5	छत्तीसगढ़	9,82,138	1,16,442	81,262	10,848	37,366
6	गोव	35,118	18,575	11,878	1,161	5,065
7	गुजरात	15,13,780	2,14,064	1,85,041	47,172	1,35,098
8	हरियाणा	7,30,291	41,366	31,668	7,603	19,168
9	हिमाचल प्रदेश	1,83,256	19,701	12,945	2,072	6,274
10	झारखंड	4,32,085	43,737	31,390	6,231	15,075
11	कर्नाटक	32,35,747	5,72,108	4,82,164	1,27,031	3,24,515
12	केरल	59,364	22,344	12,843	5,520	5,009
13	मध्य प्रदेश	31,87,355	2,78,022	2,22,659	54,506	1,14,827
14	महाराष्ट्र	27,28,165	2,83,298	2,11,084	61,001	1,27,698
15	मणिपुर	91,693	18,132	11,548	2,159	2,135
16	मेघालय	20,624	4,725	746	62	129
17	मिजोरम	11,898	3,397	1,366	100	126
18	नागालैंड	25,239	4,550	1,902	394	49
19	ओडिशा	7,44,654	1,06,312	84,336	18,258	44,135
20	पंजाब	2,01,216	13,040	8,317	1,858	2,629
21	राजस्थान	21,75,251	2,51,982	2,16,258	61,821	1,39,738
22	सिक्किम	6,385	3,407	1,483	330	391
23	तेलंगाना	3,77,390	89,040	64,909	28,698	28,289
24	त्रिपुरा	55,992	20,273	15,869	4,426	4,278
25	उत्तर प्रदेश	31,98,741	1,78,031	1,41,199	15,506	68,305
26	उत्तराखंड	2,77,419	20,357	12,635	1,476	6,038
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,286	1,057	609	140	252
28	चंडीगढ़	4,119	775	293	76	27
29	दिल्ली	41,424	2,619	978	216	111
30	जम्मू और कश्मीर	4,94,571	1,54,881	1,33,582	14,476	92,551
31	लद्दाख	6,505	4,189	2,634	605	2,108
32	लक्षद्वीप	1,446	697	447	19	42
33	पुडुचेरी	5,898	902	266	159	54
34	दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	6,921	918	578	166	400

**तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी तक पीएम विश्वकर्मा के तहत राज्य निगरानी समिति का गठन नहीं किया है।*

(ग) पीएम विश्वकर्मा के तहत प्राप्त आवेदनों, सफल पंजीकरण, मूलभूत कौशल प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋण और वितरित किए गए टूलकिटों की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदन	सफल पंजीकरण	आधारभूत कौशल प्रशिक्षण	संस्वीकृत ऋण	वितरित टूलकिट
1	2023-24	1,64,29,855	8,40,240	2,30,858	--	--
2	2024-25	82,66,882	21,12,945	19,01,937	3,92,519	1,45,411
3	2025-26 (03.03.26 तक)	3,61,943	46,815	2,24,328	1,73,563	12,29,729